न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 262/2016 दायरा दिनांक : 19.07.2016

उनवान

प्रमोद कुमार आत्मज श्री केसरीलाल जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम खेडली मेडोलिया, तहसील बारां जिला बांरा

.... अपीलांट

बनाम

1— राकेश कुमार आत्मज जमना सहाय जी, जाति कायस्थ, निवासी जयप्रकाश कालोनी दीनदायाल पार्क बारां, तहसील बारां जिला बांरा

2— दिनेश कुमार आत्मज जमना सहाय जी, जाति कायस्थ, निवासी जयप्रकाश कालोनी दीनदायाल पार्क बारां, तहसील बारां जिला बांरा

3— मुकेश कुमार आत्मज जमना सहाय जी, जाति कायस्थ, निवासी जयप्रकाश कालोनी दीनदायाल पार्क बारां, तहसील बारां जिला बांरा

4— योगेश कुमार आत्मज जमना सहाय जी, जाति कायस्थ, निवासी जयप्रकाश कालोनी दीनदायाल पार्क बारां, तहसील बारां जिला बांरा

5— राजेश कुमार आत्मज जमना सहाय जी, जाति कायस्थ, निवासी जयप्रकाश कालोनी दीनदायाल पार्क बारां, तहसील बारां जिला बांरा

6— संतोष कुमार पत्नी श्री उमानाथ जी पुत्री जमनासहाय जी, जाति कायस्थ, निवासी नाला मछरटटा, तहसील सदर, जिला फरूखाबाद, देहली

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

7– राजश्री पत्नी श्री रमेश कुमार जी पुत्री जमनासहाय जी, जाति कायस्थ, निवासी मकान नम्बर 16/80 लक्ष्मीगंज गुना (मध्यप्रदेश)

8– कमलेश पत्नी अनुप श्रीवास्तव पुत्री जमनासहाय जी, जाति कायस्थ, निवासी मकान नम्बर ए–4 भूरा जी की प्याऊ जनता कालोनी जयपुर

9– राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

10– बीना पत्नी श्री प्रमोद कुमार जी मिततल, जाति महाजन, निवासी ग्राम बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन के गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओ पी मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.01.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 75/2012 निर्णय दिनांक 04.04.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा न चलने योग्य नहीं होना मानकर खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु उसके पक्ष में नहीं होना मानकर कर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपीलांट के पक्ष में अन्तरिम स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम खेडली भेडोलिया, तहसील बारां में हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 0.45 हेक्टर आराजी स्थित है जो प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 8 के खाते में दर्ज है । उपरोक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 29 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा था । उपरोक्त भूमि वादी अपीलांट के पिता श्री केसरीलाल जी के खाते व कब्जे की खसरा नम्बर 11 की भूमि से लगी हुई है । खसरा नम्बर 29 की 0.45 हेक्टर भूमि के पूर्वी एवं दक्षिणी तरफ आम रास्ता है । अधीनस्थ न्यायालय ने साबिक खसरा नम्बर 29 की 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि पहले मिथलेश कुमारी पुत्री कन्हैया लाल पत्नी श्री जमीना सहाय, जाति कायस्थ के खाते में दर्ज थी । जमनासहाय राजकीय सेवा में जेलर के पद पर कार्यरत थे । वादग्रस्त भूमि पर आवंटी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । रामकुंवर पुत्र धूलीलाल मीणा सन् 1995 से वादग्रस्त आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है । रामकुंवार ने दिनांक 20.11.95 को 50000/– रूपये में वादग्रस्त आराजी अपीलांट को विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर जरिये इकरारनामा बेचान कर कब्जा संभला दिया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.2016 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । जमीन प्रतिवादी रेस्पोडेंट के खाते में दर्ज है । खसरा नम्बर 29 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा नये खसरा नम्बर 29 रकबा 0.45 हेक्टर है । वादी अपीलांट के पिता केसरीलाल के खाते की खसरा नम्बर 11 की भूमि से लगी है । मिथलेश कुमारी के नाम आवंटन करवा ली । इनका इस पर कब्जा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

नहीं रहा। हमने रामकुंवार पुत्र धूली लाल से भूमि क्रय की है। एडवर्स पजेशन के आधार पर भी हम खातेदार है। मिथलेश कुमारी का जमीन पर कभी कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थी नम्बर 10 बीना को बेचान कर दी इनका कोई लेना देना नहीं है। अतः उपखण्ड अधिकारी के निर्णय में प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में है। इनको विक्रय करने से रोका जाना चाहिए। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2015(1) आर एल डब्ल्यू पेज 450 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने टी आई सही जारी की है । हम वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं । इनका वादग्रस्त आराजी में कोई टाईटल नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने एक इकरारनामा प्रस्तुत किया जिसमें वादग्रस्त आराजी रामकुंवर पुत्र धूलीलाल से क्रय करना बताया। इकरारनामे में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 29 रकबा 0.45 हेक्टर को बारां सेन्ट्रल जेल में जेलर के पद पर कार्यरत जमनासहाय, जाति कायस्थ ने उसकी पत्नी मिथलेश कुमारी के नाम आवंटन करा लिया, जो पूर्णतया गलत है। उस आवंटन को खारिज कराने की समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी यह कथन विक्रेता द्वारा इकरारनामे में किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मिथलेश कुमारी को आवंटन हुई थी। यदि मिथलेश कुमारी को गलत आवंटन हुआ था तो आज तक किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी गई है और न ही आवंटन खारिज कराने की कार्यवाही की गई है। मिथलेश कुमारी के पुत्र एवं पुत्री उसके वारिसान रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 8 वादग्रस्त आराजी के खातेदार है। अपीलांट केवल इकरारनामे के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है। चूंकि अपीलांट विवादग्रस्त आराजी का खातेदार ही नहीं है तो वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि सम्मत किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा